



उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग

किसान मण्डी भवन, द्वितीय तल, गोमती नगर, लखनऊ-226010 फोन 2720426 फैक्स 2720423 ई-मेल secretary@uperc.org

संगीता वर्मा
सचिव

पत्रांक: यूपीईआरसी / सचिव / 2442003
लखनऊ: दिनांक: 29 अक्टूबर 2003

मुख्य महाप्रबन्धक (वाणिज्य)
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड
शक्ति भवन, अशोक मार्ग,
लखनऊ

विषय: इंजिनियर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के परिपेक्ष्य में डिस्ट्रीब्यूशन कोड 2002
में संशोधन करने के सम्बन्ध में

महोदय,

उक्त विषयक आपके पत्र संख्या 783 व0स्क0(वि0प्र0) दिनांक 29.9.03 के सन्दर्भ में मुझे कहने का निर्देश हुआ है कि आयोग द्वारा स्वीकृत की गयी विद्युत आपूर्ति संहिता 2002 उत्तर प्रदेश सुधार अधिनियम 1999 के अन्तर्गत यू0पी0पी0सी0एल0 को प्रदत्त अनुज्ञाप्ति पत्र का भाग है। अतः विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 14 के अन्तर्गत असमानता होने की स्थिति में भी उक्त विद्युत आपूर्ति संहिता 2002 के प्राविधान अपने वर्तमान स्वरूप में दिनांक 9 जून 2004 अथवा विद्युत आपूर्ति संहिता में संशोधन, जो भी पहले हो, तक लागू किये जा सकते हैं।

इस परिपेक्ष्य में मुझे यह भी कहने का निर्देश हुआ है कि विद्युत आपूर्ति संहिता में आवश्यक संशोधनों पर विचार एवं तदनुसार प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु यू0पी0पी0सी0एल0 कृपया इलेक्ट्रिसिटी स्पलाई कोड रिव्यू पैनल की बैठक शीघ्रातिशीघ्र आहूत करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करे।

भवदीया,

(संगीता वर्मा)